न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 8685 / 2006 / सीकर

उपवन संरक्षक मरूस्थल वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास, सीकर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2– विद्वान जिला कलेक्टर, सीकर।
3– तहसीलदार, सीकर।
4– पंचायत समिति धोंद तहसील व जिला सीकर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

एकल–पीठ

श्री आर. के. जायसवाल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोकनाथ, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री सुनील पारीक, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3,
श्री दुनीचन्द डीढारिया, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–4,

दिनांक : 15 फरवरी, 2019

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 22–9–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर, सीकर ने दिनांक 19–2–2001 द्वारा आदेश पारित किया कि शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र संख्या–प–6(276)राज/ग्रुप–3/2000/जयपुर दिनांक 5–12–2000 के द्वारा कस्बा सीकर के खसरा संख्या–1713 रकबा 2.34 हेक्टेयर भूमि

चारागाह की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम–1963 के अन्तर्गत पंचायत समिति धोंद को कार्यालय भवन एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के आवासीय भवन हेतु निःशुल्क आवंटन की। राजकीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की। अतः उक्त स्वीकृति की अनुपालना में कस्बा सीकर की भूमि खसरा संख्या–1713 रकबा 2.34 हेक्टेयर किस्म चारागाह सम्पूर्ण राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम–1963 के अन्तर्गत निम्न शर्तो पंचायत समिति धोंद को कार्यालय भवन एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन ककरने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। तहसीलदार सीकर को आदेश दिया जाता है कि आवंटित भूमि का कब्जा सम्बन्धित को संभलावें तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिर्पोट तत्काल इस कार्यालय में भिजवावें। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 22–9–2006 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 22–9–2006 से व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि वन भूमि का सीमांकन स्तम्भों से होता है और वन भूमि के स्तम्भों के अनुसार पंचायत समिति को आवंटित भूमि वन सीमा के भीतर अवस्थित है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि 1966 में जो अधिसूचना जारी हुई थी वह सम्पूर्ण देवीपुरा बीड के लिये थी और प्रस्तावित भूमि उसी देवीपुरा बीड का भाग है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 18–9–1966 की भूमि में स्तम्भों का वर्णन दिया हुआ है और इन स्तम्भों के वर्णन के अनुसार यह भूमि वन सीमा के भीतर अवस्थित है और वन सीमा में अवस्थित होने के कारण इस भूमि का आवंटन किया जाना उचित नही है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि जब यह भूमि अनाधिवासित नहीं थी तो ऐसी स्थिति में इस भूमि का आवंटन किया जाना भी नियमानुकूल नहीं था क्योंकि भूमि न केवल वन सीमा में स्थित है और वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है। अपितु विभाग के आधिपत्य में है और वहां पर पेड लगे हुये हैं। ऐसी स्थिति में इसका आवंटन किया जाना नियमानुकूल नहीं था। दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों के निर्णय विधि विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की जावे।

5– इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि भूमि वन विभाग की भूमि नहीं है और ना ही वन भूमि के रूप में अधिसूचित है। जिला कलेक्टर ने आवंटन राजस्थान सरकार से इस खसरे के बारे में अनुमति लेकर किया है और तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर किया है। बीड देवीपुरा हेतु जो आवंटन हुआ था और उसकी जो वन बंदोबस्त सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी की सूची है उसमें भी खसरा संख्या–632 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा में से 18 बिघा 17 बिस्वा भूमि ही वन खण्ड में शामिल किया हुआ रकबा कथित की गयी है और इस तरह से खसरा संख्या–632 साबिक के दो भाग हो गये। एक तो 18 बीघा 17 बिस्वा का था और दूसरा 9 बीघा 8 बिस्वा का था और 9 बीघा 8 बिस्वा का रकबा था वह वन क्षेत्र में नहीं गया था। वह बदस्तूर चारागाह में ही रहा था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील को खारिज किया जावे।

6– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निगरानीधीन निर्णय का अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय वन बन्दोबस्त सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा तैयार खसरा बन्दोबस्त अनुसार खसरा संख्या–632 का कुल रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा दर्शाया गया है और उसमें आगे कॉलम संख्या–5 में विशेष विवरण के नीचे हाथ से लिखा हुआ है कि ‘‘खण्ड में शामिल किया हुआ रकबा’’ इसमें 18 बीघा 17 बिस्वा का अंकन है। पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण संख्या–33 जो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–11–1969 को तस्दीक किया गया है, में भी खसरा संख्या–632 के कुल रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा में वन विभाग सीकर के नाम 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज की गयी है। स्पष्ट है कि साबिक खसरा संख्या–632 का पूरा रकबा वन क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ था और ऐसी स्थिति में राजकीय अधिवक्ता और पंचायत समिति के अधिवक्ता का यह कथन बल पकडता है कि इस खसरे की सारी भूमि वन खण्ड में नहीं गई थी, जो शेष भूमि चारागाह के रूप में बदस्तूर रही थी, उसी भूमि में से आवंटन हुआ है और ऐसी स्थिति में आवंटन वन भूमि में से किया जाना प्रकट नहीं होता है। क्योंकि खसरा संख्या–632 का सारा रकबा वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं हुआ था, जो शेष रकबा रह गया गया था उसमें से आवंटन किया गया है। जहां तक भूमि अनाधिवासित होने का प्रश्न है भूमि अनाधिवासित नहीं थी जैसा कि अपर जिला कलेक्टर के पत्रावली

अपील / एल.आर. / 8685 / 2006 / सीकर
उपवन संरक्षक मरूस्थल वृक्षारोपण बनाम सरकार आदि

में उपलब्ध पत्र दिनांक 7–2–2006 से प्रतीत होता है कि तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट के अनुसार भूमि वन विभाग के कब्जे में है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में नये एवं पुराने रिकार्ड एवं वन विभाग के रिकार्ड का मिलान एवं अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि खसरा संख्या–1713 रकबा 2.33 हेक्टेयर जिसका पुराना खसरा संख्या–632 मि. रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा था, वन भूमि के खाते में नहीं है। केवल वन विभाग के कब्जे में है। जिला कलेक्टर, सीकर ने दिनांक 19–2–2001 द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र संख्या–प–6(276)राज/ग्रुप–3/2000/जयपुर दिनांक 5–12–2000 के क्रम में कस्बा सीकर के खसरा संख्या–1713 रकबा 2.34 हेक्टेयर भूमि चारागाह की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम–1963 के अन्तर्गत पंचायत समिति धोंद को कार्यालय भवन एवं अधिकारियों / कर्मचारियों के आवासीय भवन हेतु सार्वजनिक हित में निःशुल्क आवंटन की है। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट दिनांक 31–8–2002 से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि का कब्जा भी पंचायत समिति के अधिकारियों को पूर्व में ही संभलाया जा चुका है एवं साथ ही आवंटित भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है। उपरोक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील अधिकारी, सीकर ने खारिज करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये हैं जिससे अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8– फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 22–9–2006 एवं जिला कलेक्टर, सीकर का आदेश दिनांक 19–2–2001 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. जायसवाल)
सदस्य

अपील / एल.आर. / 8685 / 2006 / सीकर
उपवन संरक्षक मरूस्थल वृक्षारोपण बनाम सरकार आदि